बजट वर्ष 2010-11

स्वाभिमान, स्वरोजगार एवं स्वावलम्बन की ओर एक कदम

सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष बल

बागबानी क्षेत्र में बागबानी तकनीकी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत चल रहे कार्यक्रमों के अलावा हमारी सरकार ने पॉयलट के तौर पर 'फसल बीमा' योजना आरम्भ की है ताकि किसानों को मौसम की बेरुखी से बचाया जा सके। इस योजना का आगामी वर्ष के दौरान व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और बीमा किस्त का 50 प्रतिशत भी सरकार वहन करेगी। पॉयलट स्तर पर, हम शीघ्र ही शिमला ज़िला में 'एंटी-हेल रॉडार व गन' आधारित फसल सुरक्षा उपकरण स्थापित करेंगे।

बदलते पर्यावरण तथा वैश्विक चुनौतियों के मद्देनज़र सेब की खेती को लाभदायक बनाने हेतु हमारी सरकार शीघ्र ही 85 करोड़ रु. के 'एप्पल रिजूविनेशन प्रोजैक्ट' को क्रियान्वित करेगी। इस प्रोजैक्ट के तहत अगले पांच सालों में 12,500 एकड़ क्षेत्र पर सेब के पुराने व कम फसल देने वाले पेड़ों के स्थान पर अधिक फसल देने वाली किस्मों के रूट-स्टॉक लगाने का प्रावधान होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के बारे में हमने गम्भीरता से विचार किया है। इस दिशा में हम आगामी वर्ष में 'मुख्य मंत्री आरोग्य पशु धन' योजना आरम्भ करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि अगले तीन वर्षों में उन सभी पंचायतों में पशु औषधालय खोले जाएं, जहां पर अभी ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए लगभग 1150 पंचायतों में पशु औषधालय खोलने होंगे। पहले चरण में, आगामी वर्ष में, 800 पशु चिकित्सा सहायक प्रशिक्षित किए जाएंगे, जो प्रशिक्षण पाने के उपरान्त नये प्रस्तावित पशु औषधालयों में, पंचायतों के नियंत्रण में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, आरम्भ में, इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त पशु फार्मासिस्टों की सेवाएं भी पंचायतों के अन्तर्गत, उपयोग में लाई जाएंगी। पंचायतों को पशु चिकित्सा सहायक लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा और उन्हें इसके लिए सरकार आवश्यक ग्रांट उपलब्ध करवाएगी। नये पशु औषधालय खोलने के लिए उन पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां पर पंचायतें आवश्यक भवन उपलब्ध करवाएंगी और जहां पर सेवानिवृत्त पशु फार्मासिस्टों की सेवाएं पंचायतों के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

बीपीएल परिवारों के लिए 'बेटी है अनमोल' योजना। इन परिवारों की लड़कियों को 10वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। अब जमा दो कक्षाओं के लिए भी यह छात्रवृत्ति दी जाएगी

सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को बेसहारा गौ-जाति पशुओं के पुनर्वास हेतु सुन्नी, लहरी बरोटा, बनूरी और खजियां में गौ सदन चलाने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। इनके पुनर्वास के पुनीत कार्य को बढ़ाने की दिशा में हमारा प्रस्ताव है कि प्रदेश के प्रमुख मंदिर न्यासों के सहयोग से गौ सदन खोले जाएं, जिनके लिए ये न्यास आवश्यक वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करेंगे। पशु पालन विभाग इन गौ सदनों/गौशालाओं को तकनीकी सहायता देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। सामाजिक व धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे गौ सदनों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए भी विभाग आवश्यक कदम उठाएगा।

मछली पालकों की आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 6560 सक्रिय मछुआरों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर की राशि 50,000 रु. से बढ़ाकर एक लाख रु. कर दी गई है। मछली पालकों की आय वृद्धि हेतु सरकार ट्राऊट मछली पालन में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने का प्रस्ताव करती है।

जल संरक्षण एवं दोहन

हमारी सरकार की यह परिकल्पना है कि प्रदेश के हर नदी नालों में बह रहे पानी को चैक डैम और वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से संरक्षित किया जाए और पानी की एक-एक बूंद को कृषि व अन्य उपयोगों के लिए बचाया जाए। आगामी वर्ष के दौरान हमारी सरकार जल संरक्षण तथा वाटरशैड परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देगी। वाटरशैड कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने व बेहतर समन्वय के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है। दीर्घकाल से पानी की कमी झेल रहे 12 ब्लॉकों को वाटरशैड कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी।

हमने 1999 में शहरी क्षेत्रों में विभिन्न भवनों में और अन्य क्षेत्रों में कमर्शियल/बड़े भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्थापित करना अनिवार्य बनाया था। हम इस नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और इस बारे में अगर किसी भी स्तर पर कोताही पाई जाती है तो यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वाटरशैड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4668 करोड़ रु. की एक महत्त्वाकांक्षी दूरगामी योजना केन्द्र सरकार को भेजी गई है। 2009-10 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा 306 करोड़ रु. की 36 नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनके अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कुल 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोज़गार से आमदनी बढ़ाने तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, नकदी तथा मुख्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु तथा बदलते हुए जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए सिंचाई व्यवस्था बहुत महत्त्वपूर्ण है। ए.आई.बी.पी. तथा नाबार्ड स्कीमों के अन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 141.48 करोड़ रु. तथा निर्माणाधीन शाहनहर, चंगर व सिधाता सिंचाई परियोजनाओं के लिए 62 करोड़ रु. का योजना परिव्यय प्रस्तावित है। इस परिव्यय से 2010-11 के दौरान 6500 हेक्टेयर क्षेत्र के सी.सी.ए. के लक्ष्य की प्राप्ति होगी।

2010-11 के दौरान 147 करोड़ रु. की फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 10 करोड़ रु. प्रस्तावित हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 4025 हेक्टेयर क्षेत्र का सी.सी.ए. सिंचित होगा। बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत दो चालू परियोजनाओं नामत: ऊना जिला की स्वां चरण-2 तटीकरण तथा जिला सिरमौर की गिरिबाता नदी के तटीकरण हेतु वर्ष 2010-11 के लिए क्रमश: 75 करोड़ तथा 15 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। जिला मण्डी, हमीरपुर तथा बिलासपुर में 'सीर खड्ड' का तटीकरण भी सरकार के विचाराधीन है, जिसके लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए कुल 105 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

हमारी सरकार का मानना है कि चहुंमुखी उन्नति कृषि उत्पादकता में वृद्धि से ही सम्भव है, जिससे कृषि श्रमिकों तथा किसानों व बागवानों की आय में आवश्यक बढ़ोतरी होती है। इस उद्देश्य हेतु आगामी वर्ष में सिंचाई सेवाओं सहित कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र के लिए मैं 427 करोड़ रु. की योजना राशि का प्रस्ताव करता हूं।

स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल के प्रावधान को प्राथमिकता। वित्त वर्ष के अन्त तक 2500 हैंडपम्प, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहां गर्मियों में पानी की कमी रहती है, स्थापित किए जाएंगे।

ग्रामीण विकास/पंचायतें

ग्रामीण विकास विभाग स्वरोज़गार के मौकों को बढ़ाने पर और अधिक बल देगा। बी.पी.एल. ग्रामीण युवाओं के लिए मार्किट-लिंकड प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि वे निजी क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त करने और स्वरोज़गार हेतु छोटी इकाइयां स्थापित करने हेतु सक्षम बन सकें। इसके लिए 2010-11 से 2021-22 तक की अवधि के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। सरकार ने 'स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोज़गार' योजना (एस.जी.एस.वाई.) विशेष परियोजना घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से कौशल विकास की दो परियोजनाएं अनुमोदित करवाई हैं। इन दोनों परियोजनाओं के अधीन 3700 बी.पी.एल. ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके प्रशिक्षण पर 3.5 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अग्रणी बैंकों के सहयोग से दस जिलों में ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

'अटल आवास' योजना तथा 'इन्दिरा आवास' योजना के तहत वर्ष 2009-10 में कुल मिलाकर 13,387 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे प्राप्त कर लिया जाएगा। अगले वर्ष से नए घरों के निर्माण हेतु हमारी सरकार ने इन दोनों योजनाओं के तहत सहायता राशि को प्रति यूनिट 38,500 रु. से बढ़ा कर 48,500 रु. करने का निर्णय लिया है।

'गुरु रविदास सार्वजनिक सुविधा उन्नयन' योजना के अन्तर्गत, 2009-10 में 13.65 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे, जिसे 2010-11 के लिए बढ़ाकर 22.40 करोड़ रु. किया जा रहा है।

वर्ष 2009-10 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान' (टी.एस.सी.) को गति प्रदान करने पर बल दिया गया है। इस वर्ष सफल पंचायतों को महर्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार के अन्तर्गत 1.44 करोड़ रु. पुरस्कार राशि प्रदान की गई। 31 जनवरी, 2010 तक 3243 ग्राम पंचायतों में से 2260 पंचायतें खुला शौच मुक्त हो गई हैं। अगले वर्ष के अन्त तक शतप्रतिशत पंचायतों को खुला शौच मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हम इस कार्यक्रम को और प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।

मनरेगा के अन्तर्गत, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हमारी सरकार 525 करोड़ रु. खर्च करेगी, जिससे 4.5 लाख से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। मनरेगा के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को उनकी जमीन को सुधारने के लिए उस पर सिंचाई तथा बागवानी विकास जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। 2010-11 में बड़े पैमाने पर ऐसे कार्य निजी भूमि पर हाथ में लिए जाएंगे जिससे कृषि उत्पाद में वृद्धि हो और जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। केन्द्र सरकार इस स्कीम के लिए केवल 100 रु. दैनिक मज़दूरी के रूप में देती है जबकि हम 110 रु. दे रहे हैं। इस तरह से शेष 10 रु. दैनिक मज़दूरी राज्य संसाधनों से दी जा रही है जिसके कारण इस वर्ष लगभग 40 करोड़ रु. राज्य बजट से वहन किए जाएंगे। हमें इस बात का गर्व है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में ज़िला कांगड़ा देश के उन 25 जिलों में से है, जिन्हें नैशनल अवार्ड फॉर एक्सीलैंस प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को अगले साल भी सफलतापूर्वक चलाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।

हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु वचनबद्ध है। हम पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय ले चुके हैं। पंचायतों के उप प्रधानों के पदों हेतु सीधे चुनाव करवाने के लिए हमने सम्बन्धित कानून संशोधित किया है। विभिन्न स्कीमों, विशेषकर मनरेगा के सोशल आडिट में ग्रामसभा की भूमिका को और प्रभावी बनाया जाएगा जिसके लिए नियम व मैनुअल सरल किए जाएंगे। आगामी वर्ष के लिए ग्रामीण विकास गतिविधियों हेतु मैं 168.66 करोड़ रु. की योजना राशि का प्रस्ताव करता हूं।

20-सूत्री कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन और विभिन्न जिलों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को हर वर्ष क्रमश: 50, 30 और 20 लाख रु. के पुरस्कार, विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे।

आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में प्रचारित-प्रसारित करने के लिए 'अन्फॉरगेटएबल हिमाचल ब्रांड' लांच किया जाएगा ताकि हिमाचल को इस ब्रांड से ख्याति प्राप्त हो सके।

ऊर्जा

हिमाचल प्रदेश में लगभग 23 हजार मेगावाट की उर्जा पैदा हो सकती है। अब तक लगभग 6480 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है जिसमें से 44 प्रतिशत क्षमता बी.बी.एम.बी. तथा पंजाब के नियन्त्रण में है, जहां से राज्य की आय नगण्य है। हमारी प्राथमिकता शेष पोटैन्शल का तेजी से दोहन करना होगी, जिससे राज्य को उचित आमदनी हो। इस दिशा में हमने अपनी पिछली सरकार के दौरान केन्द्रीय पीएसयू तथा निजी क्षेत्र, दोनों को बड़े पैमाने पर जलविद्युत विकास में शामिल करने की प्रक्रिया आरम्भ की थी। उन प्रयासों के अच्छे परिणाम अब मिल रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान अलियां दोहांगन, मलाना-II, बुधील, चमेरा-III तथा कुछ छोटी परियोजनाओं के चालू होने पर 600 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जुड़ने की आशा है। इन परियोजनाओं से हर वर्ष 2700 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होनी अनुमानित है। सभी पनविद्युत परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि कुल जलविद्युत सम्भावना में से 17,000 मेगावाट कपेसिटी का, 12वीं योजना के अन्त तक, दोहन हो सके।

हमारी सरकार जलविद्युत संसाधन के समुचित विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की मिश्रित भागीदारी की नीति को अपना रही है। निजी क्षेत्र को स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया से आबंटित 4300 मेगावाट की परियोजनाओं से राज्य सरकार की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा लगभग 3800 मेगावाट बिजली का दोहन किया जाएगा। लगभग 9000 मेगावाट ऊर्जा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के नियन्त्रण में होगी।

हमारी सरकार वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ राज्य को जलविद्युत उत्पादन कर लगाने की अनुमति का मुद्दा पहले की तरह निरन्तर उठाती रहेगी।

सरकार का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में लघु जलविद्युत परियोजनाएं अहम भूमिका निभाती हैं। 1995-96 से अब तक, हमने 5 मेगावाट क्षमता तक की 618 परियोजनाएं आबंटित की हैं। इनमें से मात्र 26 परियोजनाएं चालू हुई हैं। तेज विकास हेतु लघु जलविद्युत नीति को युक्तियुक्त करना अतिआवश्यक है। सभी पक्षों के साथ समुचित विचार-विमर्श करके हम इस नीति में अपेक्षित परिवर्तन करेंगे। ऊर्जा निर्यात करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण अति-आवश्यक है। इसे सुनिश्चित करने हेतु ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे 6 महीनों के अन्दर अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

स्वच्छ ऊर्जा तथा ऊर्जा बचाने हेतु हमारी वचनबद्धता के दृष्टिगत हमारी सरकार ने 'अटल बिजली बचत' योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। प्रत्येक घर को 4 सी.एफ.एल. बल्ब मुफ्त वितरित किए गए हैं, जिससे प्रतिवर्ष 270 मिलियन यूनिट बिजली यानि कि 100 करोड़ रु. से अधिक की बचत हो रही है।

हमारी सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से सौर ऊर्जा के दोहन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इसके लिए शिमला और हमीरपुर को 'सौर नगर' के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भवनों पर सौर ऊर्जा आधारित उपकरण लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। डा. यशवंत सिंह परमार बागबानी विश्वविद्यालय, सोलन और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर में दो राज्यस्तरीय ऊर्जा पार्क लगाने का भी प्रस्ताव है।

सड़कें

अध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन सहित विभिन्न मंचों पर मैंने सड़क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा को, राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। 2008-09 के मुकाबले 2009-10 में हम सड़कों पर 42 प्रतिशत अधिक योजना राशि व्यय करेंगे जोकि सड़कों के विस्तार और उनके रखरखाव के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाती है। हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान 3327 किलोमीटर सड़कों की जल निकास नालियां बनाने के अतिरिक्त, 2103 किलोमीटर सड़कों तथा 121 पुलों का निर्माण किया, 1655 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया और 3091 किलोमीटर सड़कों की वार्षिक सरफेसिंग करवाई। नाबार्ड योजनाओं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और राज्य स्कीमों के अन्तर्गत नई सड़कों के निर्माण और रखरखाव हेतु अधिक वित्तीय प्रावधान के कारण यह सम्भव हो पाया है।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव को न केवल अगली वार्षिक योजना बल्कि आने वाले कई सालों तक प्राथमिकता दी जाती रहनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण कार्य को हमारी सरकार द्वारा दिए गए महत्व के फलस्वरूप वर्ष 2009-10 में सड़कों के रखरखाव हेतु 147 करोड़ रु. योजना और 186 करोड़ रु. गैर योजना शीर्ष के अन्तर्गत प्रदान किए गए। अगले वर्ष भी सड़कों के रखरखाव हेतु हम पर्याप्त धन देते रहेंगे। आगामी वर्ष के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए एनपीवी लागत के रूप में 18 करोड़ रु., हम राज्य बजट से प्रदान करेंगे क्योंकि केन्द्र सरकार ने एनपीवी लागत को, परियोजना लागत में शामिल करने सम्बन्धी हमारे निवेदन को अभी तक सहमति नहीं दी है। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आर.आई.डी.एफ. सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड ने एनपीवी लागत को परियोजना लागत में शामिल करने की सहमति दे दी है।

हमारी सरकार ने 890 किलोमीटर लम्बी 7 सड़कों को राष्ट्रीय उच्चमार्ग घोषित करने के लिए मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया है। प्रदेश में 270 करोड़ रु. की लागत से तीन सुरंगें बनाने के लिए डी.पी.आर. तैयार की जा रही हैं। डी.पी.आर. तैयार होते ही इन सुरंगों के निर्माण के लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 2010-11 के लिए सड़कों के लिए मैं 530 करोड़ रु. की योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

सरकारी भवनों के लिए नीति

सरकारी भवन बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी, भवनों के लिए सरकारी जमीन की अनुपलब्धता और उनके रख-रखाव की समस्या, कुछ ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से सरकारी कार्यालयों के आवास हेतु निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाना आवश्यक हो गया है। इसके लिए किराये पर भवनों को लेने की वर्तमान प्रक्रिया के अलावा हम ऐसी नीति बनाने का प्रस्ताव करते हैं जिसके तहत लम्बी अवधि के लिए, पारदर्शी तरीके से, निजी क्षेत्र में निर्मित भवनों/बिल्डिंगों को सरकारी कार्यालयों के लिए लीज़ किया जा सकेगा। इसके लिए ऐसे भवनों के निर्माण हेतु स्टैण्डर्ड नक्शे/मापदण्ड तय किए जाएंगे। इससे न केवल इस क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों का अन्य विकास कार्यों के लिए बेहतर उपयोग हो सकेगा।

600 मेगावाट की बिजली क्षमता का होगा दोहन। 'अटल बिजली बचत' योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित

पथ परिवहन/रेलवे

हमारी सरकार सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के अतिरिक्त, निजी बस ऑपरेटरों की भी सेवाएं ली जाएंगी। हमारी सरकार ज्यादा सम्भावित दुर्घटना वाले सड़क स्थलों पर स्टील क्रैश बैरियर लगाने का प्रस्ताव करती है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और लोगों की यात्रा सुरक्षित बने। आगामी वर्ष में आनी, जुब्बल तथा रोहड़ू बस अड्डों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के भू-अर्जन तथा निर्माण के लिए आगामी वर्ष की योजना में 25 करोड़ रु. का प्रावधान राज्य के हिस्से के रूप में किया गया है। भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन को सामरिक महत्व के दृष्टिगत मण्डी-कुल्लू- मनाली-लाहौल होते हुए लेह तक के विस्तार के प्रस्ताव पर हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। हमने पठानकोट- जोगिन्द्रनगर- मण्डी होते हुए मनाली के रास्ते लेह तक बड़ी रेल लाइन बिछाने का मामला, सामरिक हितों को देखते हुए, केन्द्र सरकार के साथ दृढ़ता से उठाया है। प्रदेश सरकार घनौली- बद्दी-कालाअम्ब-पांवटा साहिब- देहरादून रेल लाईन के लिए भी प्रयासरत हैं व इसके सर्वे और अन्य कार्यों के लिए रेल मंत्रालय को पूरा सहयोग दिया जाएगा।

कृषि व सिंचाई क्षेत्रों के लिए 427 करोड़। 'पंडित दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि' योजना राज्य के किसानों के उत्थान हेतु हमारा प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत किसानों को 80 प्रतिशत उपदान दिया जाता है जिसका उपयोग पॉलीहाऊस निर्माण व माइक्रो-सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए किया जा रहा है।

जलापूर्ति एवं मल निकास

स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल का प्रावधान करना हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष, दिसम्बर, 2009 तक, 758 बस्तियां राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत तथा 3096 बस्तियां केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत जलापूर्ति स्कीमों के अधीन लाई गई हैं। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 2500 हैंडपम्प, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहां गर्मियों में पानी की कमी रहती है, स्थापित किए जाएंगे। सुन्दरनगर तथा धर्मशाला में जलापूर्ति योजनाओं को इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है तथा श्री नैनादेवी जलापूर्ति योजना 2010-11 में पूरी कर ली जाएगी। 2010-11 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के मानकों के अनुसार, 5000 स्लिप्पड बैक बस्तियों को पेयजल आपूर्ति योजना के तहत लाने का प्रस्ताव है। पेयजल की गुणवत्ता सुधारने हेतु 785 ग्रामीण स्कूलों में जलमणी कार्यक्रम के अधीन पानी के प्योरीफिकेशन सिस्टम प्रदान किए जाएंगे। 24 मल निकासी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है और उनके लिए 40 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान है। सुजानपुर तथा सरकाघाट नगरों की मल निकास योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष के दौरान पेयजल तथा मल निकास योजनाओं के लिए 260 करोड़ रु. का योजना परिव्यय प्रस्तावित है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

आगामी वित्त वर्ष के दौरान 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गांवों में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। हमने अनुसूचित जाति उपयोजना परिव्यय में वृद्धि कर 742 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया है ताकि वर्तमान परियोजनाएं चलती रहें तथा नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सके।

अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रदेश सरकार एक अलग से नीति बनाएगी जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को भी समाज में स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिल सकें।

माननीय सदस्यों को यह विदित है कि हमारी सरकार समाज के पिछड़े व शोषित वर्ग के कल्याण के लिए पूर्णत: समर्पित है। इस वित्त वर्ष में 15,234 अतिरिक्त लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के दायरे में लाया गया है। हमने इस योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा को, व्यक्तिगत मामलों में 6000 रु. से बढ़ाकर 9000 रु. और परिवार वाले मामलों में 11000 रु. से बढ़ाकर 15000 रु. करने का निर्णय लिया है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन के वितरण को सुचारू बनाने के लिए, हमने निर्णय लिया है कि ऊना जिले में शुरू की गई बॉयोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड योजना को बैंकों के माध्यम से अन्य जिलों में भी आगामी वर्ष में शुरू किया जाए।

बेटी है अनमोल योजना

लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए और समाज से लिंग भेद समाप्त करने हेतु हमारी सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के लिए 'बेटी है अनमोल' योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत हर बी.पी.एल. परिवार की दो लड़कियों तक को, उनके पैदा होने पर, उनके नाम से, डाकघर में सरकार द्वारा 5100 रु. प्रति लड़की जमा करवाया जाएगा। यह राशि, लड़कियों के वयस्क होने पर ब्याज सहित एक सम्मानजनक राशि बन जाएगी जोकि उनके जीवन में स्वाभिमान से आगे बढ़ने के काम आएगी। वर्तमान में बी.पी.एल. परिवारों की लड़कियों को 10वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। अब जमा दो कक्षाओं के लिए भी यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। जमा दो कक्षाओं में छात्रवृत्ति 1500 रु. प्रतिवर्ष के दर से दी जाएगी।

जनजातीय विकास

प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है व इसके लिए जनजातीय उपयोजना के लिए वार्षिक योजना का 9 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है। जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत किए जा रहे विकास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय बजट को कम्पयूटरीकृत करके ऑनलाइन कर दिया गया है। 2010-11 की जनजातीय योजना के लिए 270 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(पृष्ठ 8 पर जारी)